विषय :– अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध पंजाब दण्ड एवं अपील नियमावली, 1952 के अधीन कार्यवाही करते समय विभागीय जांच के लिए जांच अधिकारी नियुक्त करना ।

क्या हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव, उपर्युक्त विषय की ओर ध्यान देने का कष्ट करेंगे ?

2. राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध पंजाब दण्ड एवं अपील नियमावली, 1952 के अन्तर्गत विभागीय जांच के लिये चौकसी विभाग में आई:ए:एस: काडर के एक अधिकारी, जांच अधिकारी (चौकसी) नियुक्त है तथा उनके कार्यालय में जिला न्यायवादी तथा रीडर सहित पूरा अमला उपलब्ध किया गया है, जिससे कि जांच सुचारु रुप से हो सके। इस समय जांच अधिकारी के पास किसी भी विभाग की नियमित जांच लम्बित नहीं है ।

3. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जिन श्रेणी–I तथा II के अधिकारियों के विरुद्ध नियमित विभागीय जांच प्रस्तावित हो तो वह सभी केस उपर्युक्त अधिकारी को भेज दिये जाएं । इसके अतिरिक्त भविष्य में जिन केस में (केवल श्रेणी–I तथा II से सम्बन्धित) विभागीय जांच बारे निर्णय लिया जाए तो जांच अधिकारी (चौकसी) को ही इस कार्य हेतु नामित किया जाए ।

4. यह हिदायतें, जोकि अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगी, सभी सम्बन्धित के ध्यान में कठोरतापूर्वक कार्यवाही हेतु ला दी जाए ।

हस्ता/-
उप सचिव, सामान्य प्रशासन,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

आश0 क्रमांक 25।1।79–जी एस । दिनांक, चण्डीगढ़ 30–4–79